

राजस्व अपील संख्या 23/2022

जीसीएमएस नम्बर 2022/26

अपीलान्त

1. भंवर सिंह पुत्र उम्मेदसिंह
  2. नरपतसिंह पुत्र उम्मेदसिंह
- जाति राजपूत निवासी पनवाड़ी तहसील कुचामन जिला डीडवाना-कुचामन।

रेस्पोंडेन्ट्स

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कुचामन जिला डीडवाना-कुचामन।

उपस्थित अधिवक्ता:-

1. अशोक पुरी अधिवक्ता अपीलान्त की ओर से।



अपील अन्तर्गत धारा 75 राज. भू-राजस्व अधिनियम, 1956

निर्णय

दिनांक: 31.01.2024

- 1 यह अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार कुचामन के प्रकरण संख्या 111/2020 बअनवान सरकार जरिये तहसीलदार कुचामन सिटी बनाम श्री भंवर सिंह वगैराह में पारित निर्णय दिनांक 12.04.2021 के विरुद्ध पेश की है।
- 2 अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का रूपपुरा की रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय तहसीलदार कुचामन सिटी द्वारा अपीलान्त के विरुद्ध दिनांक 14.09.2020 को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाकर निर्णय दिनांक 12.04.2021 द्वारा अपीलान्त को ग्राम पनवाड़ी के खसरा नं. 254 कुल रकबा 2.59 हैक्टर किस्म बारानी द्वितीय में से रकबा 0.0150 हैक्टर भूमि पर से बेदखली के आदेश पारित किये गये है। अपीलान्त का कथन है कि न्यायालय तहसीलदार कुचामन सिटी द्वारा अपीलान्त का पक्ष सुने बिना ही दिनांक 12.04.2021 को निर्णय पारित कर अपीलान्त को अतिक्रमी घोषित कर दिया गया। तथा ग्राम पनवाड़ी के खसरा नं. 254 कुल रकबा 2.59 हैक्टर किस्म बारानी द्वितीय में से रकबा 0.02 हैक्टर भूमि पर से अपीलान्त को बेदखल कर लगान 0.075 का पचास गुणा से राशि रुपये 4 रुपये अक्षरे चार रुपये जुर्माना आरोपित किया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलान्त द्वारा यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है।
- 3 अपीलान्त की अपील दिनांक 08.06.2022 को मियाद का बिन्दु विचाराधीन रखते हुए दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के रिकार्ड हेतु तलबी जारी की गई। अधीनस्थ न्यायालय के पत्रांक/राजस्व/2022/931 दिनांक 07.07.2022 के द्वारा रिकार्ड इस न्यायालय में प्राप्त हुआ।
- 4 वकील अपीलान्त ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम व शपथ पत्र पेश कर कथन किया कि न्यायालय तहसीलदार कुचामन सिटी द्वारा निर्णय दिनांक 12.04.2021 अपीलान्त को बिना सुने पारित किया गया है। जिससे अपीलान्त को आक्षेपित निर्णय की जानकारी नहीं हो सकी। वकील अपीलान्त द्वारा बहस के दौरान अपील में विलम्ब के सम्बन्ध में जो कारण बताये गये है। वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होने से अपील में हुआ विलम्ब क्षम्य किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

*for*  
31/01/2024  
अतिरिक्त जिला कलक्टर  
कुचामन सिटी

- 5 बहस अधिवक्ता अपीलान्त सुनी गई। अपीलार्थी के वकील ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि अपीलान्त द्वारा ग्राम पनवाड़ी के खसरा नं. 254 रकबा 2.59 हैक्टर भूमि में से एक भूखण्ड 60 गुणा 60 यानि 3600 वर्ग फीट तत्कालीन खातेदार गोविन्द कंवर पत्नी हनुमान सिंह जाति राजपूत निवासी पनवाड़ी से वर्ष 1999 में खरीद कर कब्जा प्राप्त किया। जिसका इकरारनामा दिनांक 04.02.2009 को निष्पादित किया गया। दौरान बहस यह भी बताया गया कि न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नागौर के आदेश दिनांक 19.04.2002 की पालना में नामान्तरण संख्या 140 के द्वारा खसरा नं. 254 रकबा 2.59 हैक्टर भूमि को सीलींग से सिवाय चक दर्ज किया गया। राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नागौर के आदेश दिनांक 19.04.2002 को निरस्त करना भी बताया गया, परन्तु वकील अपीलान्त द्वारा न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नागौर व राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा पारित आदेश या अन्य दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां पेश नहीं की गई है।
- 6 बहस व पत्रावली पर उपलब्ध रेकॉर्ड का अवलोकन किया व मनन किया गया। पटवारी हल्का रूपपुरा की रिपोर्ट अनुसार मौजा पनवाड़ी के खसरा न. 254 कुल रकबा 2.59 हैक्टर किस्म गै.मु. बारानी द्वितीय में से रकबा 0.0150 हैक्टर भूमि पर पक्का मकान बनाकर अतिक्रमण किया हुआ है। आदेश जैर अपील जारी करने से पूर्व अपीलार्थी/अपीलान्त को विधिवत नोटिस दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अवसर प्रदान करने पर भी अपीलार्थी/अपीलार्थी द्वारा स्वामित्व सम्बन्धित कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान किया गया है।

प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्त द्वारा राजकीय भूमि पर नाजायज अतिक्रमण किया गया है। जो हटाना आवश्यक है। राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 में यह प्रावधान है कि किसी व्यक्ति द्वारा ऐसी भूमि पर बिना विधि संगत प्राधिकार के अधिवास या कब्जा कर रखा हो, उसे अतिचारी समझा जायेगा तथा उसे तुरन्त बेदखल किया जा सकता है। राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 की कार्यवाही समरी कार्यवाही है। तहसीलदार को राजकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने का अधिकार है।

ऐसी स्थिति में हस्तगत अपील में कोई सार नही होने से यह अपील निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने विधिवत कार्यवाही कर अपीलार्थी को बेदखली का आदेश पारित किया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत होने से इसमें कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

—:आदेश:—

अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 12.04.2021 उपर्युक्त विवेचनानुसार यथावत रखा जाकर अपील अपीलान्त खारिज की जाती है।

*AW*  
31/01/2024  
(रवीन्द्र कुमार)

अतिरिक्त जिला कलक्टर  
कुचामनसिटी

निर्णय आज दिनांक 31.01.2024 को मेरे हस्ताक्षर एव न्यायालय की मुहर से जारी कर खुले न्यायालय सुनाया गया।



*AW*  
31/01/2024  
अतिरिक्त जिला कलक्टर  
कुचामनसिटी